कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004.

क्रमांक 857/500/आउशि/शा–5/07, भोपाल, दिनांक 02.07.2007

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2007–2008 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि विद्वानों से अध्यापन व्यवस्था विषयक ।

–0–

प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकीय पदों के रिक्त होने के कारण पूर्व वर्षो की भंति शैक्षाणिक सत्र 2007–08 में भी प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापकों /ग्रंथपाल /क्रीड़ाधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध जनभागीदारी से मानदेय के आधार पर अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाये । यह व्यवस्था केवल रिक्त पदो ंके विरूद्ध वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वर्कलोड के अनुसार होगी ।

कंडिका (1) अतिथि विद्वानों की व्याख्यान व्यवस्था केवल स्वीकृत प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल के रिक्त पदों के विरूद्ध ही की जाएगी। वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण छात्र संख्या एवं वर्कलोड के अनुसार किया जायेगा । वर्कलोड यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित 24 पीरियड प्रति सप्ताह के आधार पर होगा ।

कंडिका (2) अतिथि विद्वानों की चयन लीड कॉलेज के स्तर पर एक समिति द्वारा किया जायेगा । आवेदन महाविद्यालय में प्राप्त किये जावेगें। इस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में पंजीबद्ध किया जाएगा तथा आवेदक को पावती दी जाएगी । समिति द्वारा आवेदन पत्र एवं प्राप्ति पंजी को सत्यापित किया जाएगा । प्राचार्यो की अध्यक्षता में एक समिति आवेदन पत्रों को प्राप्त कर उसकी समीक्षा करने एवं चयन करने का कार्य करेगी । समिति में लीड महाविद्यालय के

प्राचार्य, संबंधित विषयों के विभागाध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम शिक्षक सदस्य रहेगे साथ ही कलेक्टर का एक प्रतिनिधि भी शामिल रहेगा उक्त प्रतिनिधि उपलब्ध न हो तो भी चयन प्रक्रिया मान्य रहेगी ।

चयन सूची का अनुमोदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा किया जावेगा ।

कंडिका (3) चयन प्रक्रिया पूर्णतया मेरिट के आधार पर होगी । पैनल बनाने का कार्य सामान्यतः यू.जी.सी द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुसार किया जायेगा । चयन हेतु वरीयता क्रम निम्नानुसार रहेगा :-

श्रेणी-1: संबंधित विषय में नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण या पी-एच.डी धारक

श्रेणी-2: संबंधित विषय में एम.फिल

श्रेणी-3: यू.जी.सी. के मापदण्ड अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त ।

श्रेणी-1: के व्यक्तियों के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा । इस श्रेणी का कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो श्रेणी-2 के अतिथि विद्वानों के नामों पर विचार किया जाएगा । श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के व्यक्ति उपलब्ध न हाने पर ही श्रेणी तीन के उच्चतम योग्यता वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार किया जायेगा ।

कंडिका (4)

क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपालों की चयन प्रक्रियाः-

क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल के लिये यू.जी.सी. द्वारा निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई है :-

1-क्रीड़ा अधिकारीः-

व्यायाम शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और व्यायाम शिक्षा में स्नातक स्तर पर कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 50 से कम न हो ।

2-ग्रंथपाल

पुस्तकालय विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत 50 से कम न हो ।

मेरिट का निर्धारण एवं अनुभव चयन हेतु वरीयता क्रम निम्नानुसार रहेगाः-

श्रेणी-1 संबंधित विषय में पी-एच.डी.

श्रेणी-2 संबंधित विषय में एम.फिल.

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि श्रेणी- एक,दो के उम्मीदवार न मिलने पर न्यूनतम योग्यता (स्नातकोत्तर उपाधि) वाले उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जा सकता है ।

कंडिका (5)

अतिथि विद्वानों की चयन प्रक्रिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि चयनित उम्मीदवार के विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । इसके लिये चयनित उम्मीदवार से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । साथ ह ीवह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/ अशासकीय सेवा में नहीं है । शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उम्मीदवार को व्याख्याता हेतु आमंत्रित किया जायेगा ।

कंडिका (6)

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत व्यक्तियों की पारस्परिक मेरिट तय करते समय स्नातक स्तर के प्राप्तांक प्रतिशत के 30 प्रतिशत अंक, स्नातकोत्तर स्तर के प्राप्तांक के प्रतिशत के 40, पी-एच.डी. या नेट/स्लेट उत्तीर्ण करने की दशा में 14 अंक एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में शिक्षण अनुभव के लिए 4 अंक प्रतिवर्ष के आधार पर अधिकतम 16 अंक, इस प्रकार अधिकतम 100 अंकों के आधार पर गुणानुक्रम तैयार किया जाएगा ।

अतिथि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत पिछले वर्षो के आमंत्रण पत्रों को जिस पर उन्होंने वास्तवित शिक्षण कार्य किया और प्राचार्य द्वारा प्रदत्त भुगतान पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव के लिये जोड़ा जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों में जिन उम्मीदवारों ने कार्य किया होगा उसी अनुभव को अधिभार के रूप में शामिल किया जायेगा । एक अकादमिक सत्र में 220 कालखंड के 4 अंक तथा 100 कालखंड के ऊपर दो अंक, 100 कालखंड से कम होने पर कोई अंक नहीं दिया जावेगा ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (चिकनी पर्त छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कुल प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार दिया जायेगा ।

कंडिका (7)

अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे । और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत ''लोक सेवक'' नहीं माने जाएंगे ।

कंडिका (8)

प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 3 प्रायोगिक कक्षाओं को,2 सैद्धांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जाएगा ।

कंडिका (9)

आमंत्रण -पत्र, सचिव जनभागीदारी समिति के हैसियत से जारी किया जावेगा। अध्यापन हेतु आमंत्रित अतिथि विद्वानों की मानदेय भुगतान व्यवस्था संबंधित महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा की जायेगी । **उपरोक्त व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा जनभागीदारी समिति को की जावेगी ।**

मानदेय

कंडिका (10)

(अ) शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनिट के एक व्याख्यान के लिए रूपये 100/-(रूपये एक सौ मात्र) या शासन द्वारा निर्धारित प्रति व्याख्यान मानदेय देय होगा । अतिथि विद्वान व्यवस्था के अंतर्गत् प्रत्येक अतिथि एक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान /परीरियड ले सकेगें ।

(ब) अतिथि विद्वान व्यवस्था के अंतर्गत् ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारियों को रूपये 300/— (रूपये तीन सौ मात्र) प्रति कार्य दिवस पर भुगतान किया जायेगा।

कंडिका (11)

जनभागीदारी समितियों द्वारा मानदेय के रूप में भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त होने पर परीक्षण के बाद शासन द्वारा समितियों को अनुदान स्वीकृत किया जावेगा । उक्त अनुदान लेखा प्राचार्यो द्वारा विधिवत् संधारित किया जाऐगा जो लेखा अंकेक्षण के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा । प्रतिदिन अधिकतम रूपये 400/— (रूपये चार सौ) या शासन द्वारा निर्धारित मानदेय ही मान्य होगा ।

कंडिका (12)

उपर्युक्तानुसार महाविद्यालय के लिए मानदेय हेतु आवश्यक राशि का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रिक्त पदों की जानकारी सहित प्राचार्य द्वारा संचालनालय की बजट शाखा को भेजा जायेगा।

कंडिका (13)

जनभागीदारी समितियों द्वारा उक्तानुसार महाविद्यालयों में मानसेवी व्याख्यान व्यवस्था के लिये नियुक्ति पत्र जारी न किए जाएं और न ही किसी प्रकार जनभागीदारी समिति को इस संदर्भ में नियोक्ता माना जाए । प्राचार्य द्वारा

विनम्र भाषा में अतिथि व्याख्यान हेतु विद्वानों को आमंत्रित करने के लिये पत्र भेजें जाएं । **ये आमंत्रण पत्र प्रत्येक व्याख्यान के लिये पृथक–पृथक या एक से अधिक व्याख्यान के लिये जारी किए जाए** । प्रति व्याख्यान हेतु मानदेय दर एवं प्रति व्याख्यान की अवधि 40/45 मिनिट का उल्लेख आमंत्रण पत्र में अवश्यक किया जाए ।

कंडिका (14)

आमंत्रण पत्र सचिव जनभागीदारी समिति की हैसियत से जारी किये जायेगें । इस कार्य हेतु कोई अनुभव प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावेगा केवल कार्य दिवस एवं कालखण्ड की संख्या एवं भुगतान राशि का पत्रक प्राचार्य द्वारा जारी किया जावेगा ।

कंडिका (15)

अतिथि व्याख्यान व्यवस्था के विज्ञापन संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर से उनके क्षेत्र के लिये जारी किया जायेगा, तथा इसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि **आवेदन पत्र महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों के सचिव की ओर से आमंत्रित किये जाते हैं** । यह विज्ञापन एक संक्षिप्त विज्ञापन होगा जिसमें अर्हताओं, आवेदन पत्र किस प्रकार का कब तक और किसे प्रस्तुत करना है तथा मानदेय होगा, की जानकारी **(क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से जारी किये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप संलग्न है) विज्ञापन में यह उल्लेख होगा कि महाविद्यालयवार तथा विषयवार अतिथि व्याख्यान की आवश्यकता की जानकारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से अथवा महाविद्यालय के नोटिस–बोर्ड से अथवा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर से प्राप्त की जा सकेगी ।** विज्ञापन के प्रकाशन के बाद आवेदकगण निर्धारित किये गये कैलेण्डर अनुसार अपना आवेदन संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगें । महाविद्यालय के सचिव, जनभागीदारी समिति (प्राचार्य) द्वारा संबंधित को पैनल में रखे जाने की सूचना दी जायेगी तथा

अध्यापन हेतु आमंत्रण पत्र रजिस्टर्ड डाक से जारी किये जायेगें, तथा रसीद संभाल कर रिकार्ड में रखी जायेगी । चयनित लोगों की सूची का प्रकाशन नोटिस–बोर्ड पर तत्काल किया जावेगा ।

कंडिका (16)

उपरोक्त अध्यापन व्यवस्था 28.02.2008 तक अथवा प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापकों/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी की नियमित पदस्थापना दिनांक तक, या महाविद्यालयीन आवश्यकता के अनुसार जो भी पहले हो पूर्णतः अस्थाई रूप से जारी रहेगी । किसी शिक्षक की नियमित पदस्थापना होने के परिणामस्वरूप पद भर जाने की स्थिति में हटाये गये अतिथि विद्वानों को संभाग में किसी अन्य रिक्त पद (यदि हो तो) पर कार्य करने का विकल्प दिया जा सकेगा ।

कंडिका (17)

संस्कृत महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की उपरोक्तानुसार व्यवस्था केवल शैक्षणिक राजपत्रित दो के लिये लागू होगी । अराजपत्रित दो के लिए पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

कंडिका (18)

स्व–वित्तीय पाठ्यक्रमों के तहत जनभागीदारी समिति द्वारा शैक्षणिक पदों पर अतिथि विद्वानों के चयन की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार ही की जावेगी किन्तु उन्हें दिये जाने वाले मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान जनभागीदारी समिति के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगा।

कंडिका (19)

सेमेस्टर पद्धति के अतिथि विद्वानों को 1जुलाई 2007 से 30 जून 2008 तक अधिकतम 08 माह प्राचार्य आवश्यकतानुसार रख सकेगें ।

उपरोक्त कार्यवाही समय–सीमा में संलग्न कलैण्डर अनुसार पूर्ण की जाना है ।

(एस.एन.मिश्रा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश,भोपाल

..8//

पृ.क्रमांक 858 / 500 /आउशि / शा–5 / 07, भोपाल, दिनांक : 02.07.2007

प्रतिलिपिः–

1. मा.मंत्री, उच्च शिक्षा के निज सहायक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3. प्रमुख मुख्य सचिव,म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग ।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति,समस्त शासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश।
8. उपसचिव, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विठ्ठन मार्केट, भोपाल ।
9. समस्त अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
10. समस्त कोषालय एवं उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

...........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश,भोपाल

// अतिथि विद्वानों की चयन प्रक्रिया हेतु कलेण्डर//

1.	विज्ञापन का प्रकाशन	10 जुलाई,2007(अतिरिक्त संचालक स्तर से)
2.	आवेदन की अंतिम तिथी	25 जुलाई 2007तक(संबंधित महा.के प्राचार्य को)
3.	आवेदनों का चयन प्रक्रिया पूर्ण करना	05 अगस्त, 2007 तक
4.	अंतिम चयन सूची का प्रकाशन	06 अगस्त, 2007 को
5.	अध्यापन हेतु आमंत्रण पत्र जारी करना	16 अगस्त,2007

(एस.के.उपाध्याय)
अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश